झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक – 8/ज०स० (नि०) न०वि०–44/2011 राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राम कुमार सिंह सहायक अभियंता (चालू प्रभार) ने जबकि वे नगर निवेशक, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार राँची के पद पर पदस्थपित थे। घोर अनियमितता, कदाचार अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री राम कुमार सिंह, के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम–55 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री राम कुमार सिंह, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से० (सेवानिवृत), के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए श्री डेविड कुजूर, अधीक्षण अभियंता अग्रिम योजना अंचल दुमका को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से०(सेवा निवृत) टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची /श्री डेविड कुजूर अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल दुमका/श्री राम कुमार सिंह सहायक अभियंता (चालू प्रभार) ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज एवं एन०आर०आई०पी० मामले) झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :–अनुबंध की प्रति के साथ श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से०(सेवा निवृत) टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची /श्री डेविड कुजूर अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल दुमका/श्री राम कुमार सिंह सहायक अभियंता (चालू प्रभार) ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज एवं एन०आर०आई०पी० मामले) झारखण्ड, राँची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4. आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते है तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०–यथोक्त।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 21 **राँची/दिनांक** 05-01-16

प्रतिलिपि :–उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.1.16

सरकार के संयुक्त सचिव